संख्या- 111 /2026/ 978 /चार-2026-2036553

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 28 मार्च, 2026**

विषयः- इण्टरनेशनल जेवर एयरपोर्ट, नोएडा के उद्घाटन के अवसर पर मा0 प्रधानमंत्री जी के स्वागत में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 4645/सं0नि0-15(153)/2025-26 दिनांक 26.03.2026 के संदर्भ में अवगत कराना है कि इण्टरनेशनल जेवर एयरपोर्ट, नोएडा के उद्घाटन के अवसर पर मा0 प्रधानमंत्री जी के स्वागत में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय **रू0 21,02,000.00 (रू0 इक्कीस लाख दो हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार इण्टरनेशनल जेवर एयरपोर्ट, नोएडा के उद्घाटन के अवसर पर मा0 प्रधानमंत्री जी के स्वागत में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय व्यय हेतु **रू0 21,02,000.00 (रू0 इक्कीस लाख दो हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति वित्तीय वर्ष के समाप्ति के दृष्टिगत **जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ** के पक्ष में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

शर्तें/ प्रतिबन्धः-

1. स्वीकृत धनराशि के आहरण/व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
3. उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।
4. उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल / बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।
5. समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
6. उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
7. उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8. संबंधित संस्था/कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि का समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है. अतः बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
10. धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय निवर्मा का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 21,02,000.00 (रू0 इक्कीस लाख दो हजार मात्र)** की चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 092 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति 800-अन्य व्यय-13-आजादी का अमृत काल महोत्सव-42-अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार,जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।